

कार्यालय नगर पालिक निगम उज्जैन म.प्र.

वित्तीय वर्ष 2023-24

एन यू एल एम स्वरोजगार योजना

क्रमांक	एन यू एल एम योजना के घटक का नाम	लक्ष्य		बैंको मे प्रेषित प्रकरण	कुल राशि लाख मे	स्वीकृत प्रकरण		वितरित प्रकरण	
		भौतिक	वित्तीय			संख्या	कुल राशि लाख में	संख्या	कुल राशि लाख में
1	स्वरोजगार कार्यक्रम व्यक्तिगत (SEP I)	394	7 प्रतिशत से अधिक की अंतर राशि शासन से पोर्टल के माध्यम से हितग्राही कई ऋण खाते मे हस्तांतरित का प्रावधान है	604	718.4	364	423.3	282	303.9
2	समूह ऋण	15	7 प्रतिशत से अधिक की अंतर राशि शासन से पोर्टल के माध्यम से हितग्राही कई ऋण खाते मे हस्तांतरित का प्रावधान है	15	40	14	38.4	14	38.4
		घटक		लक्ष्य	उपलब्धि	राशि रु. लाख में			
3	स्व सहायता समूह का गठन स्रोत संगठन			305	199	--			
4	स्व सहायता समूह का गठन बैंक लिंकेज			343	277	878.26			
5	समूह की आवृत्ति निधि			504	223	2230000			
6	दीनदयाल रसोई योजना			निगम द्वारा 5 रसोई केन्द्रों का संचालन किया जाता है , जो कि वर्तमान में स्थगित है ।					
7	शहरी आजीविका केंद्र			1	0	--			
8	आश्रय स्थल			6	6	--			
9	नवीन आश्रय स्थल			0	0	--			



श्रम विभाग से सम्बंधित योजनोएँ

<p>1</p>	<p>मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना</p>	<p>लाभ - पंजीकृत श्रमिक का पंजीयन पात्र होने पर सहायता</p> <p>1.अंत्येष्टि सहायता (रु. 5 हजार)</p> <p>2.सामान्य मृत्यु सहायता (रु. 2 लाख),</p> <p>3.दुर्घटना मृत्यु सहायता(रु. 4 लाख)</p> <p>4.आंशिक दिव्यांगता सहायता (रु. 1 लाख)</p> <p>5.स्थायी दिव्यांगता सहायता योजना (रु. 2 लाख)</p> <p>पंजीकृत श्रमिक के परिवार सदस्य की मृत्यु होने पर सहायता</p> <p>1.अंत्येष्टि सहायता (रु. 5 हजार)</p> <p>दस्तावेज - संबल पंजीयन, 2 फोटो , आधारकार्ड, समग्र आई.डी. आश्रित का बैंक खाता मृत्यु प्रमाण पत्र, दुर्घटना में मृत्यु होने पर एफ.आई.आर. रिपोर्ट व अपंगता की स्थिति में शासकीय हास्पिटल सर्टिफिकेट</p>	<p>प्रक्रिया- नवीन पंजीयन एवं अनुग्रह सहायता के आवेदन एमपी ऑनलाईन के माध्यम से प्राप्त होते हैं, जिनमे वाई सर्वकर्ता द्वारा सर्वे कर आवेदन का निराकरण ऑनलाईन किया जाता है, साथ ही अनुग्रह सहायता का भुगतान समय-समय से शासन स्तर से सिधे हितग्राही के बैंक खाते में किया जाता है।</p> <p>अपात्रता- पति अथवा पत्नी शासकीय नौकरी, आयकर दाता, एवं एक हेक्टेयर से अधिक भूमि होने पर अपात्र माने जावेगे।</p> <p>ब.आवेदक का किसी भी प्रकार का भविष्य निधी, ग्रेच्युटी (पीएफ), सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त होता हो तो वह अपात्र माने जावेगे।</p>
<p>2</p>	<p>म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल योजना</p>	<p>लाभ - पंजीकृत श्रमिक का पंजीयन पात्र होने पर सहायता</p> <p>1.अंत्येष्टि सहायता (रु. 5 हजार)</p> <p>2.सामान्य मृत्यु सहायता (रु. 2 लाख),</p> <p>3.दुर्घटना मृत्यु सहायता(रु. 4 लाख)</p> <p>4.आंशिक दिव्यांगता सहायता (रु. 1 लाख)</p> <p>5.स्थायी दिव्यांगता सहायता योजना (रु. 2 लाख)</p> <p>पंजीकृत श्रमिक के परिवार सदस्य की मृत्यु होने पर सहायता</p> <p>1 अंत्येष्टि सहायता (रु. 6 हजार)</p> <p>सायकल अनुदान (सायकल क्रय का 90 प्रतिशत अथवा 4 हजार रुपये जो भी कम हो)</p> <p>दस्तावेज - संबल पंजीयन, आधारकार्ड, समग्र आई.डी. आश्रित का बैंक खाता मृत्यु प्रमाण पत्र, दुर्घटना में मृत्यु होने पर एफ.आई.आर. रिपोर्ट व अपंगता की स्थिति में शासकीय हास्पिटल सर्टिफिकेट</p>	<p>प्रक्रिया- नवीन पंजीयन एवं अनुग्रह सहायता के आवेदन लोक सेवा ग्यारंटी के माध्यम से प्राप्त होते हैं, जिनमे वाई सर्वकर्ता द्वारा सर्वे कर आवेदन का निराकरण ऑनलाईन किया जाता है, साथ ही अनुग्रह सहायता का भुगतान समय-समय से शासन स्तर से सिधे हितग्राही के बैंक खाते में किया जाता है।</p> <p>सायकल अनुदान अंतर्गत 2 वर्ष पूर्ण पंजीयन होने पर सायकल क्रय बिल प्रस्तुत करने पर अनुदान</p> <p>अपात्रता- पति अथवा पत्नी शासकीय नौकरी, आयकर दाता, एवं एक हेक्टेयर से अधिक भूमि होने पर अपात्र माने जावेगे।</p> <p>ब.आवेदक का किसी भी प्रकार का भविष्य निधी, ग्रेच्युटी (पीएफ), सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त होता हो तो वह अपात्र माने जावेगे।</p>